



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या: 1569-कार्य/चौदह-पाकालि/2010-3के/2000

दिनांक: 24 / 12 / 2010

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कार्यालय ज्ञाप संख्या-526-कार्य-चौदह/पाकालि/2010-3के/2000 दिनांक 07.05.2010 एवं पूर्व में निर्गत तत्सम्बन्धी सभी आदेशों का अतिक्रमण करते हुए एतद्वारा कारपोरेट भण्डार कय/कार्य समिति का निम्नवत गठन कर वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाते हैं :-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की कारपोरेट भण्डार कय/ कार्य समिति

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 | - | अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, | - | सदस्य |
| 3. समस्त पूर्णकालिक निदेशक एवं कार्यवाहक निदेशकगण | - | सदस्य |
| 4. प्रमुख सचिव (वित्त), उ0 प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव(वित्त) या उससे उच्च स्तर का अधिकारी | - | सदस्य |
| 5. प्रबन्ध निदेशक, संबंधित विद्युत वितरण निगम लि0 (सामग्री के कय/कार्य का प्रकरण जिस वितरण निगम से संबंधित है) एवं सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम के निदेशक | - | सदस्य |

उपरोक्त समिति का कोरम :-

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
- (2) प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लि0
- (3) प्रमुख सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव(वित्त) या उससे उच्च स्तर का अधिकारी ।
- (4) निदेशक (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, निदेशक (वित्त) के लखनऊ शहर में उपस्थित न होने की दशा में यदि सम्बन्धित बैठक करना अनिवार्य हो तो मुख्यालय पर लेखा शाखा में उपलब्ध मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की अनुमति से भाग लेने हेतु अधिकृत होंगे।
- (5) निदेशक(वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं निदेशक(वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

उपरोक्त समिति के वित्तीय अधिकार :- रु0 10 करोड़ से अधिक समस्त मामले ।

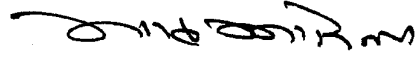

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या- 1569 (1)-कार्य-चौदह/पाकालि/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव (ऊर्जा) / प्रमुख सचिव(वित्त) उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/ट्रांस्को-लखनऊ/ केस्को-कानपुर।
3. समस्त निदेशकगण (का०प्र० एवं प्रशा०)/वितरण/वाणिज्य/वित्त, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ। (~~सामग्री~~ / ~~परिपोषण~~)
4. मुख्य अभियंता(~~सामग्री~~), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सलाहकार, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण) उ०प्र०पा०का०लि०।
9. मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), उ०प्र० पा०का०लि०।
10. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
11. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/वित्त उ०प्र०पा०का०लि०।
12. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ०प्र०पा०का०लि०।
13. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता उ०प्र० पा०का०लि०।
15. समस्त मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/उपमुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० पा०का०लि०।
16. कम्पनी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
17. कम्पनी सचिव, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/ट्रांस्को-लखनऊ/ केस्को-कानपुर।

आज्ञा से,



(भारत भूषण गोयल)
उपसचिव (कार्य)